रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-27032021-226190 CG-DL-E-27032021-226190

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 161] No. 161] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 26, 2021/चैत्र 5, 1943 NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 26, 2021/CHAITRA 5, 1943

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2021

सा.का.नि. 210(अ).—केन्द्रीय सरकार, चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 (1982 का 4) की धारा 9 के साथ पठित धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा चीनी विकास निधि नियम, 1983 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम चीनी विकास निधि (संशोधन) नियम, 2021 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. चीनी विकास निधि नियम, 1983 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है), के नियम 2 में,-
- (i). खण्ड (चच) में, "सहकारी" शब्द के स्थान पर "निजी अथवा सार्वजनिक या सहकारी" रखा जाएगा;
- (ii). खण्ड (ञञ) के लिए, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा अर्थात :-
- '(ञञ) "संभावित रूप से व्यवहार्य रुग्ण चीनी उपक्रम" से निजी अथवा सार्वजनिक या सहकारी क्षेत्र में स्थित कोई चीनी उपक्रम अभिप्रेत है, जिसके संबंध में पुनर्स्थापन समिति द्वारा पुनर्स्थापना की कोई स्कीम संस्तुत की गई है" ।
- 3. उक्त नियमों में नियम 21(i) के उप-नियम (1) के लिए, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा:

1839 GI/2021 (1)

"(1) संभावित रूप से व्यवहार्य रुग्ण चीनी उपक्रम, संयंत्र और मशीनरी के आधुनिकीकरण अथवा पुनर्स्थापन या एल्कोहल अथवा शीरे या गन्ने के रस से एनहाइड्रस एल्कोहल अथवा इथेनोल के उत्पादन अथवा खोई आधारित सह-उत्पादन विद्युत परियोजना के लिए ऋण हेतु पात्र होगा:

परन्तु पुनर्स्थापन समिति द्वारा संभावित रूप से व्यवहार्य रुग्ण चीनी उपक्रम के लिए पुनर्स्थापन स्कीम में इस निधि से किसी ऋण की संस्तुति की गई होः

परन्तु यह और कि संयंत्र और मशीनरी के आधुनिकीकरण अथवा पुनर्स्थापन या एल्कोहल अथवा शीरे या गन्ने के रस से एनहाइड्रस एल्कोहल अथवा इथेनोल के उत्पादन अथवा खोई आधारित सह-उत्पादन विद्युत परियोजना की ऐसी कोई स्कीम अथवा परियोजना किसी वित्तीय संस्थान अथवा अनुसूचित बैंक द्वारा अपनी संगत स्कीम के अधीन वित्तीय सहायता के लिए अनुमोदित हो:

परन्तु यह भी कि कोई चीनी उपक्रम इस नियम के अधीन ऋण हेतु पात्र नहीं होगा, यदि नियम 16 अथवा 22 या 23 के अधीन एक से अधिक ऋण का पूर्ण पुनर्भुगतान शेष रहता है।

- (ii) उप-नियम (2) में प्रथम परन्तुक के लिए निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा अर्थात:-
- "परन्तु पुनर्स्थापन समिति द्वारा संभावित रूप से व्यवहार्य रुग्ण चीनी उपक्रम के लिए पुनर्स्थापन स्कीम में निधि से ऋण की संस्तुति की गई हो"।
- 4. उक्त नियम में, नियम 22 के, उप-नियम (1क) में खण्ड (iv) के लिए निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:-
- "(iv) चीनी विकास निधि ऋण के लिए चीनी कारखाने अथवा चीनी उपक्रम द्वारा राज्य सरकार की गारण्टी अथवा ऐसी प्रतिभूति, जिसका निर्णय समिति द्वारा किया जाए, दी जाएगी।"
- 5. उक्त नियम में नियम 22क के उप-नियम (1क) में खण्ड (iv) के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:
- "(iv) चीनी विकास निधि ऋण के लिए चीनी कारखाने अथवा चीनी उपक्रम द्वारा राज्य सरकार की गारण्टी अथवा ऐसी प्रतिभृति, जिसका निर्णय समिति द्वारा किया गया है, प्रस्तुत की जाएगी।"
- 6. उक्त नियम में नियम 23 के उप-नियम (1क) में खंड (iv) के लिए निम्नलिखित को रखा जाएगा:
- "(iv) चीनी विकास निधि ऋण के लिए चीनी कारखाने अथवा चीनी उपक्रम द्वारा राज्य सरकार की गारण्टी अथवा ऐसी प्रतिभूति, जिसका निर्णय समिति द्वारा किया जाए, दी जाएगी।"
- 7. उक्त नियम में नियम 25 में उप-नियम (6) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा अर्थात्:
- "(7) किसी ऋण अथवा उसकी किस्त के पुनर्भुगतान में लगातार दो चूक होने के मामले में केंन्द्रीय सरकार, दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016, के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही शुरू कर सकती है।"
- 8. उक्त नियम में नियम 26-
- (i) में उप-नियम (1) के लिए निम्नलिखित उप नियम रखा जाएगा अर्थात:-
- "(1) नियम 16, 17, 21, 22, 22क, 23, 24 और 25 में किसी बात के होते हुए भी केंन्द्रीय सरकार पुनर्स्थापन और अन्य संगत घटक के लिए समिति द्वारा संस्तुत पुनर्स्थापन स्कीम को ध्यान में रखकर संभावित रूप से व्यवहार्य रुग्ण चीनी उपक्रम के ऋण, ब्याज अथवा इसमें चूक होने के कारण अतिरिक्त ब्याज की पुनर्संरचना कर सकती है:-

परन्तु ऐसी पुनर्संरचना करते समय उक्त संगत समय पर बकाया मूलधन अथवा लागू दर पर साधारण ब्याज के किसी भी हिस्से को माफ नहीं किया जाएगा;

परन्तु यह कि केन्द्रीय सरकार अपने विवेकानुसार कारणों को लिखित में दर्ज करते हुए पूर्ण अतिरिक्त ब्याज अथवा इसके भाग को माफ कर सकती है।"

(ii) उप-नियम (2) में, प्रथम और दूसरे परन्तुक के लिए, निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा अर्थात:-

परन्तु सरकार द्वारा यथा निर्णित दिशा-निर्देशों के अनुसार चीनी उपक्रमों के लिए पुनर्स्थापन हेतु स्कीम में पुनर्स्थापन समिति द्वारा पुनर्सरचना की संस्तुति की गई हो :

परन्तु यह भी कि चीनी उपक्रम ऐसी अवधि के दौरान जब तक ऐसे पुनर्संरचित ऋण की पूर्ण अदायगी होती है, तब तक वह ऋण के लिए तभी पात्र होगा यदि यह नियम 21 के अधीन पुनर्स्थापन स्कीम का ही हिस्सा हो:

(iii) उप-नियम (3) में प्ररूप संख्या XI के लिए निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा अर्थात:-

प्ररूप संख्या XI (नियम 26 देखें)

चीनी विकास निधि से लिए गए ऋण की पुनर्संरचना हेतु आवेदन

क्र. सं.	<u> </u>	विवरण												
	चीनी कारखाने का नाम और पता				सूचना									
1. 2.	संयंत्र कोड	म जार पता	l											
3.	चीनी उपक्रम का नाम													
	रजिष्ट्रीकृत कार्यालय													
4.	चीनी उपक्रम का संघट				_		2 - C							
5.	चाना उपक्रम का सघट 	:न				_. सहकार्र इ. प्राइवेट			पनी					
						सार्वजा				•				
						ा. सार्वजी								
6.	निगमित करने की तार	रीख												
7.	अध्यक्ष और निदेशक म	गंडल												
8.	लिया गया चीनी विक	ास निधि त्र	हण											
					Ī	क्र.सं.	संयं	त्र	स्कीम		वर्ष	कुल	शेष	
							कोः	ड				ऋण	राशि	
												(₹)	(₹)	
	70 0	0 (2)												
9.	आवेदित अधिस्थगनः हो)	अवधि (24	माह से आध	ध्रकन										
10.	्रि।) चीनी कारखाने का वि	वरण												
101														
	मद	पिछले 3	वर्षों के लिए	आंकडे		अगले	1 3 व	र्षों के 1	लिए अ	तमान	- T	अनुमान	हेतु	
		113,110		-11 11,0	अगले 3 वर्षों के लिए अनुमान						औचित्य	6.8		
		20	20	20_		20_		20_	_	20_	_			
	लाइसेंसशुदा													
	पेराई क्षमता													
	स्थापित पेराई													
	क्षमता (टीसीडी) गन्ने के अधीन			1										
	। गन्म क अवाम । क्षेत्र (एकड़)													
	औसत उपज			1										
	(टन/एकड़)													
	गन्ने का कुल													
	उत्पादन													
	मौसम की सकल अवधि (दिवस)													
	मौसम की निवल			+					+					
1		I	1											

	अवधि (दिवस)									
	कुल पेराई किया									
	गया गन्ना (लाख									
	टन)									
	औसत चीनी									
	रिकवरी %									
	कुल उत्पादित							_		
	कुल उत्पादित चीनी (क्विंटल)									
	चाना (ाक्वटल) चीनी कारखाने के वित्तीः									
11.	चाना कारखान क वित्ताः	य पारणाम	1							
	मद	पिछले 3	3 वर्षों वे	के लिए आंकड़े	अगले 3 व	र्षों के लिए	अनमान	अनुम	ान हेतु	
				· · · •				औचि	त्य	
		20	20_	20	20	20	20			
	C C C	20	20	_ 20	20	20	20			
	निवल बिक्री									
	सकल लाभ/हानि									
	निम्न पर ब्याज:									
	(क) सावधि ऋण									
	(ख) कार्यशीलपूंजी									
	(ग) कुल									
	मूल्य ह्रास									
	प्रचालन लाभ/हानि									
	कर									
	निवल लाभ/हानि									
	नकद प्राप्ति									
	भारत सरकार द्वारा									
	निर्धारित उचित और									
	लाभकारी मूल्य									
	(प्रति क्विंटल)									
	अदा किया गया									
	वास्तविक गन्ना									
	मूल्य (प्रति क्विंटल)									
	गन्ना मूल्य बकाया									
	(रुपये)									
	<u>। (११४)</u> चीनी कारखाने की	 		<u> </u>						
12.	चाना कारखान का लेखापरीक्षित वित्तीय वि									
		ववरण व	› अ <u>न</u> ुस	ार ।पछल उ						
	वर्षों हेतु)									
					1		1			
				20	20		20	3	प्रभ्युक्ति	
	प्रगति में कार्य सहित र	सकल निध	र्गारित							
	परिसम्पत्तियां									
	मूल्य ह्रास घटाएं									
	निवल निर्धारित परिसग	-पत्तियां								
	निवेश									
	वर्तमान परिसम्पत्तियां									
	वर्तमान देयताएं									

	निवल कार्यशील पूंजी	
	निवल वास्तविक परिसम्पत्तियां	
	दीर्घावधि देयताएं	
	 शेयरधारकों की मालियत	
	शेयर निलम्बन और अप्रतिदेय जमा	
	सहित शेयर पूंजी	
	रिजर्व और अधिशेष	
	लाभ और हानि खाते तथा अमूर्त	
	परिसम्पत्तियों में कमी	
	शुद्ध मालियत	
13.	चीनी कारखाने के लिए सीए प्रमाणित एफएसीआर	
	गणना प्रपत्र	
	क. ऋण की पुनर्संरचना हेतु आवेदन करने का समय	
	ख. आरम्भिक ऋण के लिए आवेदन करने का समय	
14.	चीनी उपक्रम के लिए सीए प्रमाणित एफएसीआर गणना प्रपत्र	
	क. ऋण की पुनर्संरचना हेतु आवेदन करने का समय	
	ख. आरम्भिक ऋण के लिए आवेदन करने का समय	
15.	चीनी कारखाने का ऋण प्रदाय कवरेज अनुपात	
	क. ऋण की पुनर्संरचना हेतु आवेदन करने का समय	
	ख. आरम्भिक ऋण के लिए आवेदन करने का समय	
16.	चीनी उपक्रम का ऋण प्रदाय कवरेज अनुपात	
	क. ऋण की पुनर्संरचना हेतु आवेदन करने का समय ख. आरम्भिक ऋण के लिए आवेदन करने का समय	
17.	केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार या वित्तीय	
17.	संस्थान अथवा अनुसूचित बैंक और अन्य बैंकों से	
	राहत या रियायत या चीनी उपक्रमों के कर्मचारियों	
	और अन्य एजेंसियों, यदि कोई हो, से प्राप्त दान का	
	ब्यौरा	
18.	क्या संबंधित एजेंसियां चीनी उपक्रमों को ये	
	राहत/रियायत प्रदान करने के लिए सहमत हुई हैं?	
	यदि हां तो संबंधित एजेंसियों से सहमति पत्रों की	
	प्रतियां इस आवेदन प्रपत्र के साथ प्रदान की जाएं	
19.	स्कीम के क्रियान्वयन की समय अनुसूची:	
20.	स्कीम के क्रियान्वयन पर 10 वर्ष के लिए अनुमानित	
	लाभ/नकद प्रवाह विवरण का सारांश और महत्वपूर्ण	
	अवधारणाएं	

*	सभी	राशियां	लाख	रुपये	में	हैं।
	'' ''		.,, -,	· • •	•	(,

हस्ताक्षर:

नाम:

पदनाम:

चीनी यूनिट अथवा कारखाने का नाम और पता

स्थान:

तारीख:

- (iv) उप-नियम (4) में निम्नलिखित उप नियम रखा जाएगा अर्थात् :-
- "(4) समिति का सदस्य-सचिव पुनर्स्थापन समिति की सिफारिशें प्राप्त होने के उपरांत इन्हें अपनी टिप्पणियों, यदि कोई हो, के साथ समिति के विचारार्थ उक्त समिति के समक्ष रखेगा";
- (v) उप-नियम (6) में, खण्ड (ख) के लिए निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्ः-
- "(ख) पुनर्स्थापन समिति की सिफारिशों के संबंध में किसी पहलू की जांच करने और रिपोर्ट देने के लिए उप समिति अथवा विशेषज्ञ की नियुक्ति करना"।

[फा. सं. 1-4/2020-एसडीएफ]

सुबोध कुमार सिंह, संयुक्त सचिव (शर्करा और प्रशासन)

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 752 (अ) तारीख 27 सितम्बर, 1983 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और निम्नलिखित अधिसूचनाओं के द्वारा इनमें पश्चातवर्ती संशोधन किए गए थे:-

- (i) सा.का.नि. 817 (अ), तारीख 20 दिसम्बर, 1984;
- (ii) सा.का.नि. 838 (अ), तारीख 14 नवम्बर, 1985;
- (iii) सा.का.नि. 551 (अ), तारीख 6 मई, 1988;
- (iv) सा.का.नि. 235 (अ), तारीख 24 अप्रैल, 1991;
- (v) सा.का.नि. 441 (अ), तारीख 28 अप्रैल, 1992;
- (vi) सा.का.नि. 435 (अ), तारीख 6 मई, 1994;
- (vii) सा.का.नि. 27 (अ) तारीख 12 जनवरी, 1996;
- (viii) सा.का.नि. 656 (अ), तारीख 21 नवम्बर, 1997;
- (ix) सा.का.नि. 91 (अ), तारीख 12 फरवरी, 2001;
- (x) सा.का.नि. 886 (अ), तारीख 6 दिसम्बर, 2001;
- (xi) सा.का.नि. 442 (अ), तारीख 21 जून, 2002;
- (xii) सा.का.नि. 443 (अ), तारीख 21 जून, 2002;
- (xiii) सा.का.नि. 584 (अ), तारीख 19 अगस्त, 2002;
- (xiv) सा.का.नि. 67 (अ), तारीख 29 जनवरी, 2003;
- (xv) सा.का.नि. 241 (अ), तारीख 25 मार्च, 2003;
- (xvi) सा.का.नि. 787 (अ), तारीख 6 अक्तूबर, 2003;
- (xvii) सा.का.नि. 895 (अ), तारीख 19 नवम्बर, 2003;
- (xviii)सा.का.नि. 953 (अ), तारीख 17 दिसम्बर, 2003;
- (xix) सा.का.नि. 72 (अ), तारीख 23 जनवरी, 2004;
- (xx) सा.का.नि. 687 (अ), तारीख 21 अक्तूबर, 2004;
- (xxi) सा.का.नि. 739 (अ), तारीख 9 नवम्बर, 2004;
- (xxii) सा.का.नि. 149 (अ), तारीख 2 मार्च, 2005;
- (xxiii)सा.का.नि. 451 (अ), तारीख 4 जुलाई, 2005;

(xxiv) सा.का.नि. 558 (अ), तारीख 15 सितम्बर, 2006; (xxv) सा.का.नि. 188 (अ), तारीख 9 मार्च, 2007; (xxvi) सा.का.नि 697 (अ), तारीख 7 नवम्बर, 2007; (xxvii) सा.का.नि. 699 (अ), तारीख 8 नवम्बर, 2007; (xxviii) सा.का.नि. 738 (अ), तारीख 29 नवम्बर, 2007; (xxix) सा.का.नि. 749 (अ), तारीख 5 दिसम्बर, 2007: (xxx) सा.का.नि 115 (अ), तारीख 28 फरवरी, 2008; (xxxi) सा.का.नि 279 (अ), तारीख 10 अप्रैल, 2008; (xxxii) सा.का.नि 388 (अ); तारीख 19 मई, 2008; (xxxiii) सा.का.नि 508 (अ), तारीख 7 जुलाई, 2009; (xxxiv) सा.का.नि 599 (अ), तारीख 30 जुलाई, 2012; (xxxv) सा.का.नि 210 (अ), तारीख 8 अप्रैल, 2013; (xxxvi) सा.का.नि 847 (अ), तारीख 9 नवम्बर 2015; (xxxvii) सा.का.नि 23 (अ), तारीख 13 जनवरी, 2016; (xxxviii) सा.का.नि 885 (अ), तारीख 17 सितम्बर, 2018; (xxxix) सा.का.नि 496 (अ), तारीख 07 अगस्त, 2020; (xxxx) सा.का.नि 564 (अ), तारीख 16 सितम्बर, 2020.

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 2021

- **G.S.R.** 210(E).—In exercise of the powers conferred by section 4 read with section 9 of the Sugar Development Fund Act, 1982 (4 of 1982), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Sugar Development Fund Rules, 1983, namely:-
- 1. (1) These rules may be called the Sugar Development Fund (Amendment) Rules, 2021.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in Official Gazette.
- 2. In the Sugar Development Fund Rules, 1983 (herein after referred to as the said rules), in rule 2,-
- (i) in clause (ff), for the word "co-operative", the words "private or public or co-operative shall be substituted;
- (ii) for clause (jj), the following clause be substituted, namely:-
- '(jj) "potentially viable sick sugar undertaking" means a sugar undertaking being in the private or public or cooperative sector in respect of which a scheme of rehabilitation has been recommended by the Committee for rehabilitation'.
- 3. In the said rules, in rule 21-(i) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted:

"(1) A potentially viable sick sugar undertaking shall be eligible for a loan for the modernization or rehabilitation of plant and machinery or for production of anhydrous alcohol or ethanol from alcohol or molasses or sugarcane juice or for bagasse-based co-generation power project:

Provided that the loan from the Fund has been recommended in the rehabilitation scheme for the potentially viable sick sugar undertaking by the Committee for rehabilitation:

Provided further that the scheme or project for such modernization or rehabilitation of its plant and machinery or for production of anhydrous alcohol or ethanol from alcohol or molasses or sugarcane juice or for bagasse-based co-generation power project is approved for financial assistance by a financial institution or a scheduled bank under its relevant scheme:

Provided also that a sugar undertaking shall not be eligible for a loan under this rule if more than one loan under rule 16 or rule 22 or rule 23 remains to be fully repaid.";

(ii) in sub-rule(2), for the first proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-

"Provided that a loan from the Fund has been recommended in the rehabilitation scheme for the potentially viable sick sugar undertaking by the Committee for rehabilitation".

- 4. In the said rules, in rule 22, in sub-rule (1A), for clause (iv), the following clause shall be substituted, namely:-
- "(iv) State Government guarantee or such other security, as may be decided by the Committee, is furnished by the sugar factory or sugar undertaking for the Sugar Development Fund loan".
- 5. In the said rules, in rule 22A, in sub-rule (1A), for clause (iv), the following clause shall be substituted, namely:-
- "(iv) State Government guarantee or such other security, as may be decided by the Committee, is furnished by the sugar factory or sugar undertaking for the Sugar Development Fund loan".
- 6. In the said rules, in rule 23, in sub-rule (1A), for clause (iv), the following clause shall be substituted, namely:-
- "(iv) State Government guarantee or such other security, as may be decided by the Committee, is furnished by the sugar factory or sugar undertaking for the Sugar Development Fund loan".
- 7. In the said rules, in rule 25, after sub-rule (6), the following sub-rule shall be inserted, namely:
- "(7) In case of two consecutive defaults in repayment of the Sugar Development Fund loan or installment thereof, the Central Government may initiate proceedings under the provisions of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016".
- 8. In the said rules, in rule 26-
- (i) for sub rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-
- "(1) Notwithstanding anything contained in rules 16, 17, 21, 22, 22A, 23, 24 and 25, the Central Government may, after taking into consideration the scheme of rehabilitation recommended by the Committee for rehabilitation and any other relevant factor, restructure the loan, interest or additional interest on account of default thereof of a potentially viable sick sugar undertaking-:

Provided that while so restructuring, no portion of the outstanding principal or simple interest at applicable rates at the relevant time shall be waived off:

Provided further that the Central Government may, at its discretion, waive additional interest in full or in part, for reasons to be recorded in writing";

(ii) in sub-rule (2), for first and second provisos, the following provisos shall be substituted, namely:-

Provided that the restructuring has been recommended by the Committee for rehabilitation in the scheme for rehabilitation for sugar undertakings in accordance with the guidelines as may be decided by the Government:

Provided further that the sugar undertaking shall, during such period till such restructured loans are fully repaid, be eligible for loans only if it is a part of the rehabilitation scheme under rule 21;

(iii) in sub-rule (3), for Form No.XI, the following Form shall be substituted, namely:-

Form No. XI (See rule 26)

Application for restructuring of loan taken from the Sugar Development Fund

Sl. No.	Partic	culars]	Informatio	n			
	Name and Address of		ar Factory										
	Plant Code									_			
3.	Name of the Sugar U	Jndertakir	ıg										
	Registered Office												
5.	Constitution of the S	Sugar Und	ertaking		a. Co-	ope	rative So	cie	ety				
					b. Priv	ate	Limited	Co	mpany				
					c. Pub	olic l	Limited (ີດາ	mnany				
					d. Pub	olic S	Sector Co	om	pany				
	Date of incorporatio												
7.	Chairperson and Boa	ard of Dire	ectors										
8.	SDF Loans availed		Sl. No.	Pl	ant Code	S	Scheme		Year		Total Loan		Balance
										+	(₹)		Amount (₹)
9.	Duration of Morat	torium ar	plied for	-				<u> </u>					
,.	(not more than 24 m		p1100 101										
10.	Particulars of the S		torv:										
		Data for p		iree	years]	Projection	n f	or next thre	ee ·	years	Jus	stification for
		20	20		20		20			20		the	Projection
	Licensed Crushing											\dagger	
	Capacity												
	Installed crushing											1	
	capacity (TCD)												
	Area under												
	sugarcane (acres)									L			
	Average yield												
	(tonnes/acre)									L		↓	
	Total production of												
	sugarcane									L		↓	
	Gross duration of												
	the season (days)									L		<u> </u>	
	Net duration of the season (days)												
										H		₩	
	Total cane crushed (lakh tones)												
	Average sugar											+	
	recovery %												
	Total sugar												
	produced (quintals)												
11.	Financial Results of												
	Item	Data for p	revious th	iree	years]	Projection	n f	or next thre	e :	years	_	stification for
		20	20	20		1	20	2	.0		20	the	Projection
	Net sales									\Box			
	Gross Profit/loss							1		\exists		1	
	Interest on:							1		\dashv	·	1	
	(a) Term loan										i.	1	

	(b) Working				
	Capital				
	(c) Total				
	Depreciation				
	Operation				
	Profit/loss				
	Tax				
	Net Profit/loss				
	Cash accruals				
	FRP fixed by the				
	Govt. of India (per				
	quintal)				
	Actual cane price				
	paid (per quintal)				
	Cane Price Arrears				
	(₹)				
12.	Financial Position of the Sugar Factory (for last				
	three years as per Audited Financial Statements				
	enclosed)	20	20	20	Damada
	Cross fixed essets including work in progress	20	20	20	Remarks
	Gross fixed assets including work-in-progress				
	Less Depreciation Net fixed assets				
	Investments				
	Current Assets				
	Current Liabilities				
	Net Working Capital				
	Net tangible assets				
	Long-term liabilities				
	Shareholder's Worth				
	Share capital including share suspense and non-				
	refundable deposits				
	Reserves and surplus				
	Deficit in profit and loss account and Intangible assets				
	Net worth				
13.	CA certified FACR calculation sheet for Sugar Factory				
	a. At the time of applying for restructuring loan				
	b. At the time of applying for initial loan				
14.	CA certified FACR calculation sheet for Sugar				
	Undertaking:				
	a. At the time of applying for restructuring loan				
1.7	b. At the time of applying for initial loan				
15.	Debt Service Coverage Ratio (DSCR) of Sugar Factory				
	a. At the time of applying for restructuring loan				
	b. At the time of applying for initial loan				
16.	Debt Service Coverage Ratio (DSCR) of Sugar				
	Undertaking				
	a. At the time of applying for restructuring loan				
	b At the time of analyting for initial loop				
17.	b. At the time of applying for initial loan Details of the reliefs or concessions from the Central				
1/.	Government or State Government or Financial				
	Institutions or Scheduled Bank and other Banks or				
	donations from the employees of the sugar undertaking				
	and other agencies, if any				

18.	Whether the concerned agencies have agreed to provide these reliefs/concessions to the sugar undertakings? If so copies of the consent letters from the concered agencies are to be provided alongwith this application form.	
19.	Schedule of Implementation of the scheme:	
20.	Summary of the projected profitability/cash flow	
	statements for 10 years on implementation of the	
	scheme along with critical assumptions.	

^{*} all amounts are in lakh of Rupees.

Signed by:

Name:

Designation:

Name and address of the sugar unit or factory

Place:

Date:

- (iv) in sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely:-
- "(4) The Member-Secretary of the Committee shall soon after receipt of the recommendations of Committee for rehabilitation, place the same before the said Committee along with his comments if any, for the Committee's consideration";
- (v) in sub-rule (6), for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:-
- "(b) appoint a sub-committee or expert to make an investigation and report on any aspect relating to the recommendations of the Committee for rehabilitation".

[F. No. 1-4/2020-SDF]

SUBODH KUMAR SINGH, Jt. Secy. (Sugar and Admn.)

Note: The principal rules were published in the Gazette of India *vide* notification number G.S.R. 752(E) dated the 27th September, 1983 and subsequently amended *vide*-

- (i) G.S.R.817(E), dated the 20th December, 1984;
- (ii) G.S.R.838(E), dated the 14th November, 1985;
- (iii) G.S.R.551(E), dated the 6th May, 1988;
- (iv) G.S.R.235(E), dated the 24th April, 1991;
- (v) G.S.R.441(E), dated the 28th April, 1992;
- (vi) G.S.R.435(E), dated the 6th May, 1994;
- (vii) G.S.R.27(E) dated the 12th January, 1996;
- (viii) G.S.R.656(E), dated the 21st November, 1997;
- (ix) G.S.R.91(E), dated the 12th February, 2001;
- (x) G.S.R.886(E), dated the 6^{th} December, 2001;
- (xi) G.S.R.442(E), dated the 21st June, 2002;
- (xii) G.S.R.443(E), dated the 21st June, 2002
- (xiii) G.S.R.584(E), dated the 19th August, 2002;
- (xiv) G.S.R.67(E), dated the 29th January, 2003;
- (xv) G.S.R.241(E), dated the 25th March, 2003;
- (xvi) G.S.R.787(E), dated the 6th October, 2003;

- (xvii) G.S.R.895(E), dated the 19th November, 2003;
- (xviii) G.S.R.953(E), dated the 17th December, 2003;
- (xix) G.S.R.72(E), dated the 23rd January, 2004;
- (xx) G.S.R.687(E), dated the 21st October, 2004;
- (xxi) G.S.R.739(E), dated the 9th November, 2004;
- (xxii) G.S.R.149(E), dated the 2nd March, 2005;
- (xxiii) G.S.R.451(E), dated the 4th July, 2005;
- (xxiv) G.S.R.558(E), dated the 15th September, 2006;
- (xxv) G.S.R.188(E), dated the 9th March, 2007;
- (xxvi) G.S.R. 697(E), dated the 7th November, 2007;
- (xxvii) G.S.R.699(E), dated the 8th November, 2007;
- (xxviii) G.S.R.738(E), dated the 29th November, 2007;
- (xxix) G.S.R.749(E), dated the 5th December, 2007;
- (xxx) G.S.R. 115(E), dated the 28th February, 2008;
- (xxxi) G.S.R. 279(E), dated the 10th April, 2008;
- (xxxii) G.S.R. 388(E); dated the 19th May, 2008;
- (xxxiii) G.S.R. 508(E), dated the 7th July, 2009;
- (xxxiv) G.S.R.599(E) dated the 30th July, 2012;
- (xxxv) G.S.R.210(E) dated the 8th April, 2013;
- (xxxvi) G.S.R.847(E) dated 9th November 2015;
- (xxxvii) G.S.R.23(E) dated 13th January, 2016;
- (xxxviii) G.S.R.885(E) dated 17th September, 2018;
- (xxxix) G.S.R. 496 (E), dated the 07th August, 2020.
- (xxxx) G.S.R. 564 (E), dated the 16^{th} September, 2020.